22 मार्च, 2015

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मीडिया में निम्नलिखित बयान जारी किया है

'प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आज रेडियो से प्रसारित 'मन की बात' एक बार फिर 'झूठी बात-पूंजीपतियों का साथ' साबित हुई है। ओलावृष्टि व बेमौसमी बारिश की मार झेल रहे देश के करोड़ों किसान उनका प्रवचन सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उन्हें 'मौसम और मोदी' ने मिलकर मारा है। प्रधानमंत्री द्वारा पीड़ित किसानों को मुआवजा राहत के रूप में केवल कोरे आश्वासनों का झुनझुना थमा दिये जाने से देश का अन्नदाता बुरी तरह निराश होकर 'नरेंद्र मोदी-किसान विरोधी' का नारा बुलंद करने पर मजबूर हो गया है।

देश में कृषि उपज की कीमतें लगातार औंधे मुंह गिर रही हैं। यूरिया, डीएपी व बीजों की उपलब्धता न होने के कारण कालाबाजारी अब आम हो गई है। बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं ने किसानों को कृषि ऋण की सुविधा कम कर दी है। परिणामस्वरूप, कृषि निर्यात एकाएक बुरी तरह गिरा है। कृषि क्षेत्र की बदहाली के ये पूरे हालात मोदी सरकार की नौ माह की किसान- खेत मजदूर विरोधी कहानी को सार्वजनिक तौर पर बयां कर रहे हैं।

लागत पर पचास फीसदी मुनाफा-वादाखिलाफी की दास्तां

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान श्री नरेंद्र मोदी ने कालेधन की वापसी के बाद किसानों को उनकी लागत पर पचास फीसदी मुनाफा देकर फसलों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की बात जोर-शोर से कही थी। पंजाब के पठानकोट में 24 अप्रैल, 2014 की जनसभा में श्री मोदी की घोषणा थी - 'हम फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बीज, पानी, खाद व श्रम की कीमत में पचास फीसदी मुनाफा जोडकर करेंगे। (आधार-पीटीआई व यूएनआई की 24 अप्रैल, 2014 को जारी खबरें)'। बाद में मोदी जी ने यही वायदा देश के हर हिस्से में दोहराया।

बात यही खत्म नहीं हुई। भाजपा ने अपने 2014 के लोकसभा चुनाव घोषणा-पत्र के पृष्ठ-44 पर यही वायदा लिखित में दोहराया। (www.bjp.org/documents/manifesto-2014)। सत्ता में आते ही श्री नरेंद्र मोदी ने यह वायदा रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आज फसल की कीमतों का मूल्य न मिलने की बात करके पीड़ा पर नमक तो छिड़का परंतु राहत, रास्ता और दिशा को पूरी तरह भूल गए।

खाद का अभूतपूर्व संकट और कालाबाजारी

रबी के पिछले पांच महीनों में, पूरे देश विशेषकर उत्तर भारत में यूरिया की भयंकर कमी, कालाबाजारी, किसानों पर बरसाई जाने वाली पुलिस की लाठियां व खाद के भंडारों की लूटपाट आये दिन की सुर्खियां बन गई हैं। जून-अक्तूबर 2014 में मोदी सरकार मात्र 17.37 लाख मीट्रिक टन यूरिया आयात कर पाई, जो साल 2013 के 43.82 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले में लगभग एक तिहाई था। यहां तक कि 2015-16 के बजट में यूरिया सब्सिडी मात्र 72 हजार 968 करोड़ रुपये दी गई है, जिसमें पिछले साल यानी 2014-15 का खाद कंपनियों का 40 हजार करोड़ रुपया बकाया भी शामिल है। यानी के इस साल 2015-16 में यूरिया सब्सिडी, बकाया काटे जाने के बाद मात्र 32 हजार 968 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल से लगभग आधी है।

एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी खाद की बढ़ती कीमतों की चर्चा करते हैं और दूसरी तरफ यूरिया पर सब्सिडी आधी कर देते हैं। यानी एक तरफ खाद की कमी को लेकर घड़ियाली आंसू और दूसरी तरफ सब्सिडी आधी करने का यथार्थ सच।

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश : चाल, चेहरा और चरित्र बेनकाब

श्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' का अधिकतर समय विनाशकारी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के बचाव में लगाया। सबसे आवश्यक बात बताना भूल गए – भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के द्वारा नये भूमि अधिग्रहण कानून-2013 की शरीर व आत्मा का कत्ल किया जा रहा है। किसानों के हितों की बलि देकर चुनिंदा पूंजीपतियों और औद्योगिक घरानों के हितों की रक्षा की जा रही है।

देश का किसान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कुछ बुनियादी सवालों का जवाब चाहता है;

1. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक किसान पक्षधर 2013 का कानून एक धोखा था। क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि अगर भूमि अधिग्रहण कानून-2013 धोखा था तो भाजपा व भाजपाशासित प्रांतों ने अपनी सहमति व इसके पक्ष में वोट क्यों दिया था? क्या 2013 के कानून को समर्थन कालाधन वापस लाने की तरह मात्र एक 'राजनीतिक जुमला' था?
2. श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2013 का कानून आनन-फानन में लाया गया एक नया कानून था। क्या श्री मोदी भूल गए कि भूमि अधिग्रहण कानून-2013 पर तीन वर्ष तक प्रांतों, किसान समूहों, सांसदों व साधारण जनमानस से चर्चा हुई, जिसमें गुजरात प्रांत भी शामिल था, जिसके वह मुख्यमंत्री थे? क्या तीन वर्ष की व्यापक चर्चा तथा सभी राजनीतिक दलों, प्रांतों व किसान समूहों की सहमित से पारित किए 2013 के कानून को आनन-फानन में चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए मोदी जी ने अध्यादेश के माध्यम से खारिज नहीं कर दिया?
3. श्री नरेंद्र मोदी ने देश के 13 कानूनों जैसे रेलवे, नेशनल हाईवे इत्यादि को भूमि अधिग्रहण

कानून-2013 की परिधि में लाने को स्वयं की सबसे बड़ी कामयाबी बताया। क्या मोदी जी यह भूल गए कि पहले से ही पारित भूमि अधिग्रहण कानून-2013 की धारा 105 में एक साल के अंदर इन तेरह कानूनों को लाना अनिवार्य था। क्या यह कहकर एक बार फिर देश के किसानों को मोदी जी गुमराह कर रहे हैं?

4. श्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक भूमि अधिग्रहण कानून-2013 अभी तक देश में लागू नहीं किया गया। क्या माननीय मोदी जी बताएंगे कि ऐसी क्या मजबूरियां थीं कि अध्यादेश के माध्यम से 2013 के कानून को लागू करने से पहले ही समाप्त कर दिया गया?
5. भूमि अधिग्रहण कानून-2013 (धारा 4) में यह अनिवार्य था कि छह महीने की समय सीमा में ग्राम पंचायतों व नगर पालिकाओं की सहमति के साथ सोशल इम्पैक्ट असेस्टमेंट करवाई जाए, ताकि जमीन की आवश्यकता, परिवारों का पुनर्वास, अधिग्रहण की जरूरत व इससे होने वाले नुकसान-फायदे के विषयों पर विचार हो सके। क्या मोदी जी बताएंगे कि इस प्रावधान को खत्म करने से किसान को नुकसान होगा या फायदा? जब यह कार्रवाई छह महीनों में पूरी होनी अनिवार्य है तो ऐसे में लम्बे समय तक अधिग्रहण की प्रक्रिया चलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। क्या मोदी जी इस बारे में भी किसान को बरगला रहे हैं?
6. भूमि अधिग्रहण कानून-2013 में (धारा 8) सरकार द्वारा जमीन लेने से पहले इस निष्कर्ष पर पहुंचना अनिवार्य था कि जमीन वाकई में अधिग्रहण के लिए आवश्यक है, इस अधिग्रहण से क्या फायदा होगा, किसी प्रोजेक्ट के लिए कम से कम कितनी जमीन चाहिए व क्या पहले ली गई जमीन का सम्पूर्ण इस्तेमाल हो चुका। क्या इस कानूनी प्रावधान को धारा 10ए के माध्यम से खत्म करना अनुचित नहीं है?
7. भूमि अधिग्रहण कानून-2013 में (धारा 10) में नहरी सिंचाई वाली व एक से अधिक फसल देने वाली भूमि के अधिग्रहण पर विशेष पाबंदी थी। क्या मोदी जी बताएंगे कि अध्यादेश के माध्यम से धारा 10ए जोड़कर वो इस कानूनी प्रावधान को क्यों खत्म कर रहे हैं?
8. भूमि अधिग्रहण कानून-2013 (धारा 101) में यह प्रावधान था कि अगर पांच वर्ष तक जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो जमीन मालिकों को लौटा दी जाएगी। क्या मोदी जी बताएंगे कि इस व्यवस्था को अध्यादेश के माध्यम से खत्म करने के पीछे उनकी क्या मंशा है?
9. मोदी जी ने सरकार द्वारा सड़क और रेल लाइन के दोनों तरफ एक-एक किलोमीटर तक औद्योगिक क्षेत्र बनाने की बात कही है। क्या वह यह बताएंगे कि उस औद्योगिक क्षेत्र में जमीन की मालिक सरकार किस तरह रहेगी, जब वो सारी भूमि उद्योगपतियों को बेच दी जाएगी? ऐसे में क्यों किसान को सोशल इम्पैक्ट असेस्मेंट, सहमति व रोजगार के 2013 के कानून के प्रावधानों से अलग रखा जाए?
10. भूमि अधिग्रहण कानून-2013 (धारा 46) में यह अनिवार्य था कि निजी उद्योगपतियों द्वारा हजारों एकड़ की संख्या में जमीन मालिक से खरीदी गई जमीन में भी जमीन मालिकों के पुनर्वास का इंतजाम करना पड़ेगा। क्या मोदी जी यह बताएंगे कि अध्यादेश के माध्यम से इस महत्वपूर्ण

प्रावधान को निजी कंपनियों से क्यों खत्म कर दिया गया?

11. भूमि अधिग्रहण कानून-2013 पीपीपी प्रोजेक्ट्स पर किसान की सहमति व सोशल इम्पैक्ट असेस्मेंट के अनिवार्य प्रावधान लागू करता है। क्या मोदी जी यह बताएंगे कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स को इस अनिवार्य कानून की परिधि से खत्म करना किसान विरोधी नहीं है?

वास्तविकता यह है कि 'मन की बात' केवल 'झूठी बात और पूंजीपतियों' का साथ बनकर रह गई।

रणदीप सिंह सुरजेवाला
मीडिया प्रभारी
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी